न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
37/2025	10/09/2025	03-6-26

रामबल पुत्र हाबू जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

--मृतक--

1/1 ब्रज लाल
1/2 हरिमोहन
1/3 किशन लाल
1/4 प्रकाश
पुत्र रामबल जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

1/5 तारा बाई पुत्री रामबल पत्नी राजेश जाति बैरवा निवासी फलसावटा

1/6 भरोसी बेवा रामबल जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

2. रामचरण पुत्र सुन्दर,
3 काना पुत्र सुन्दर,
4 घमनी बेबा सुन्दर
5. हरकेश पुत्र जगन,
6 मनफूल पुत्र हाबू
7 गैन्दया पुत्र हाबू,
8. हीरा लाल पुत्र मिश्रया,
जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

9 रामजीलाल पुत्र मिश्रया,
10. रूपलाल पुत्र मिश्रया,
11. बद्री पुत्र श्रवण,
12. [illegible]गा पुत्र श्रवण,
जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

--वादीगण--

बनाम

1. सुरजमल पुत्र रामबल जाति माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी
2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

--प्रतिवादीगण--

<u>दावा बाबत् इस्तकरार हक खातेदारी</u>

<u>इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

क कलेक्टर
र्यपालक मजिस्ट्रेट
पुर सिटी (स०मा०)

उपस्थितिः- श्री मोहम्मद इस्लाम खांन एडवोकेट वादी की ओर से
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय

निर्णय

वादीगण की ओर से एक दावा न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि साविक खसरा नं. 515 रकवा 5 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम तलावडा है जो सम्वत् 2027 में हाबू पुत्र लोहडया हिस्सा 2/3 श्रवण पुत्र पुन्या हिस्सा 1/3 की खातेदारी में दर्ज की जिसके वर्तमान में नये खसरा नं. 1370 रकवा 54 एयर 1371 रकवा 21 एयर, 1372 रकवा 19 एयर, 1374 रकवा 43 एयर, 1375 रकवा 16 एयर, 1376 रकवा 18 एयर कुल रकवा 1.71 हैक्टर कायम किये है। सैटलमैन्ट वालो ने 1373 में साविक खसरा नं. 498, एवं 514 का रकवा शामिल कर दिया तथा खसरा नं. 1374 में साविक खसरा नं. डालकर शामिल कर दिया है। इस प्रकार वादीगण के रकवे को दिगर खातेदारों के नम्बर से मिलाकर वादीगण का रकवा बढ़ा दिया। तथा वादीगण की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 1370 को साविक खसरा नं. 432, 515, मिन से बनाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। जबकि हाल खसरा नं. 1370 वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि 515 का हिस्सा है। बिना किसी अधिकार के सैटलमैन्ट वालो ने साविक खसरा नं. 515 से बने हाल खसरा नं. 1370 को प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया। जो गलत है। सैटलमैन्ट के गलत इन्द्राज से वादीगण के हितो पर बुरा असर पडने की संम्भावना है। दिनांक 10.07.2010 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई तो वाद कारण उत्पन्न हुआ वादीगण का दावा डिक्री कर प्रतिवादी गण का जो रकवा वादी के नाम दर्ज किया है उसे सिवायचक दर्ज किया जावे। तथा साविक खसरा नं. 515 की हाल ट्रेस में दुरूस्ती की जावे।

उक्त प्रकरण न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ प्रकरण संख्या 07/2011 दिनांक 01.02.2011 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रकरण में दिनांक 24.02.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री विजेन्द्र सिंह गुर्जर ने बकालातनामा पेश कर जबाव को समय चाहा प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 28.05.2012 को जबाव पेशकर कथन किया है कि खसरा नं. 1370 रकवा 54 एयर सैटलमैन्ट विभाग द्वारा सही प्रकार से प्रतिवादी सूरजमल की खातेदारी में दर्ज किया है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। खसरा नं. 1370 स्थित ग्राम तलावडा प्रतिवादी सूरजमल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। खसरा नं. 1370 रकवा 54 एयर पर वादीगण कब्जा काश्त नही है। धारा 188 आर. टी. एक्ट के तहत मुकदमा चलने योग्य नही है। दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 05.09.2012 को प्रतिवादी के उपस्थित न आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्ष की कार्यवाही की गई। प्रकरण में दिनांक 31.01.2014 को नायब तहसीदार तलावडा से खसरा नं. 1370, 1371,1373,1374, ग्राम तलावडा की मौका रिर्पोट तलब की गई। प्रकरण में वादी की ओर से जमाबन्दी सवंत् 2066 प्रदर्श–1, खतौनी 2027 लगायत 30 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, हल नक्शा प्रदर्श–4, साविक नक्शा प्रदर्श–5, पेश किये है। वादीगण की ओर से पी. डब्ल्यू.–1, वादी किशन लाल के बयान लेखबद्ध किये गये।

प्रकरण न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहाँ से अन्तरित होकर इस न्यायालय में पेश हुआ जो प्रकरण संख्या 37/25 दिनांक 10.09.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गई।

वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुनावृति करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजात का वर्णन कर दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक बयान का अवलोकन किया। वादीगण के स्वयं के कथनानुसार स्वयं की खातेदारी का रकवा साविक के मुकाबले 1.71 हैक्टर होना बताया गया है। जबकि साविक का रकवा 5 बीघा 11 विस्वा था। जो साविक मुकाबले बहुत ज्यादा है। वादीगण आराजी हाल खसरा नं. 1370, में से भी रकवा का क्लेम करते है लेकिन वादीगण ने यह स्पष्ट नही किया कि आराजी हाल खसरा नं. 1370 का कौनसा भाग वह क्लेम करते है। बिना स्पष्ट अंकित किये वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। कब्जा रिर्पोट नायब तहसीलदार तलावडा से कब्जा रिर्पोट से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं. 1370, मौके पर अलग खेत बना हुआ है तथा खसरा

कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिटी (स०मा०)
उपखण्ड अधिकारी / उपजिला कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

नं. 1371,1373, 1374, मौके पर अलग खेत बना हुआ है। वादीगण द्वारा अपने वाद में तथ्यों को छुपाया है वादीगण ने अपने वाद में यह भी स्पष्ट नही किया कि कौनसा रकबा उसके खाते में गलत रूप से दर्ज किया गया है। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही कर पाये है। इसलिए वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहे है इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती साबित न पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-6-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इक्तवाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रामबल पुत्र हाबू जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

--मृतक--

1/1 ब्रज लाल

1/2 हरिमोहन पुत्र रामबल जाति बैरवा निवासी तलावडा

1/3 किशन लाल तहसील गंगापुर सिटी

1/4 प्रकाश

1/5 तारा बाई पुत्री रामबल पत्नी राजेश जाति बैरवा निवासी फलसावटा

1/6 भरोसी बेवा रामबल जाति बैरवा निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

2. रामचरण पुत्र सुन्दर, जाति बैरवा निवासी तलावडा

3 काना पुत्र सुन्दर, तहसील गंगापुर सिटी

4 घमनी बेबा सुन्दर

5. हरकेश पुत्र जगन,

6 मनफूल पुत्र हाबू

7 गैन्दया पुत्र हाबू,

8. हीरा लाल पुत्र मिश्रया,

9 रामजीलाल पुत्र मिश्रया, जाति बैरवा निवासी तलावडा

10 रूपलाल पुत्र मिश्रया, तहसील गंगापुर सिटी

11 बद्री पुत्र श्रवण,

12 छंगा पुत्र श्रवण,

--वादीगण--

बनाम

1. सुरजमल पुत्र रामबल जाति माली निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी

2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

--प्रतिवादीगण--

<u>दावा बाबत् इस्तकरार हक खातेदारी</u>

<u>इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

मुकदमा नं. 37/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम खांन मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.6.26 को जारी किया गया।

(... मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(... मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी